थाना लैलूंगा का सरपंच को फ्री हैंड, नहीं कर रही पुलिस गिरफ्तार

✷ जिसके हाथ पीछे बंधे हों वो फांसी कैसे लगा सकता है साहब - राजकुमार ✷ थाना लैलूंगा हत्या के मामले को बता रहा आत्महत्या ✷ लैलूंगा हत्प्राण प्रकाश पैंकरा ग्राम किलकिला प्रकरण

सेशन कोर्ट ने खारिज़ की लैलूंगा के सरपंच भोगदेव उर्फ भुपदेव की जमानत अर्जी

हत्प्राण प्रकाश के पिता राजकुमार ने लगाई थीं अग्रिम जमानत पर आपत्ति

रायगढ़। आंग्रम जमानत के आवेदन पर आपत्ति करते हुए आपत्तिकर्त्ता राजकुमार जो कि हत्प्राण प्रकाश के पिता हैं ने कहा कि, दिनॉक 6 मार्च को लीलावती जबरन आपत्तिकर्त्ता के घर में घुस आई और उसके पुत्र प्रकाश पैंकरा के साथ प्रेम सम्बंध होना बताते हुए, पत्नी बनकर रहूँगी बोली। आपत्तिकर्त्ता एवं उसके परिवार को, उसी दिनॉक 6 मार्च को जानकारी हुई कि, उसके हत्प्राण पुत्र प्रकाश पैंकरा का एवं ग्राम के ही रामसिंग पैंकरा नामक व्यक्ति की पुत्री ''लीलावती'' का प्रेम सम्बंध था। तब आपत्तिकर्त्ता और उसकी पत्नी व परिवार ने लीलावती को यह समझाया, लड़की के परिवारवालों ने भी समझाया कि घर वापस हो जाए, लेकिन लीलावती ने उनलागों की बात नहीं मानी, तब से आपत्तिकर्त्ता का पुत्र प्रकाश एवं लीलावती एकसाथ, पति-पत्नी की तरह, उसके घर में रहने लगे, जिसपर आपत्तिकर्त्ता एवं परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थीं। राजकुमार ने बताया कि, दिनॉक 10/03/2019 को दोपहर 3 बजे गॉव के चौकीदार मायाराम ने उसके घर आकर उसे बताया कि, कल दिनॉक 11/03/2019 को दोपहर 12 बजे, गांव में लीलावती के घर के सामने, सरपंच ने मिटिंग रखवाई है, तब राजकुमार को शंका हुई कि उसके पुत्र प्रकाश के साथ मारपीट हो सकती है, तो वो अपने पुत्र प्रकाश एवं लीलावती को लेकर थाना लैलूंगा गया, वहॉ उपस्थित पुलिस के समक्ष उसने अब तक की पूरी घटना को बताया। तब, वहां उपस्थित पुलिस वाले ने (जिसका वो नाम नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर पहचान सकता है) कहा कि स्टाम्प पेपर में पति-पत्नी वाली, लिखा-पढ़ी करवा लो, कुछ नहीं होगा। तब स्टाम्प लेकर लिखा-पढ़ी करवाए, उसके बाद पुनः प्रकाश एवं लीलावती

को लेकर थाना लैलूंगा गया, तब वहां उपस्थित पुलिस वाले (जिसका भी राजकुमार नाम नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर पहचान सकता है) को पुनः अपने बच्चे-बहु को लेकर होने वाली सम्भावित मार-पीट के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने कहा कि दस्तावेज की मूलप्रति को अपने साथ ले जाओं, फोटोकॉपी एक प्रति हमारे पास छोड़ दो, साथ में प्रकाश एवं लीलावती को लेकर घरघोड़ा में नोटरी के पास ले जाना, और नोटरी करा लेना, उसके बाद कुछ नहीं होगा, और कहा कि प्रकाश एवं लीलावती को अपने किसी रिश्तेदार के यहां छोड़ देना, सुबह नोटरी होने के बाद, वापस अपने घर ले जाना। जिसपर राजकुमार सहमत हो गया।

आपत्तिकर्त्ता राजकुमार अपने लड़के प्रकाश एवं लीलावती को अपने साढ़ू कृष्णाराम के घर ग्राम पाकरगांव लैलूंगा में रात को 10 बजे छोड़ने के बाद, आपत्तिकर्त्ता अपने साढ़ू कृष्णाराम के साथ, अपने गांव किलकिला वापस लौट रहा था। रास्ते में, ग्राम सोनाजोरी तक पहुंचे थें, कि फोन आया, बताया गया कि ग्राम किलकिला के कुछ लोग पाकरगांव आये और प्रकाश और लीलावती को अपने साथ, अपने बोलेरो गाड़ी में बैठाकर, मारपीट करते हुए ग्राम किलकिला ले गए हैं। उसके बाद आपत्तिकर्त्ता अपने साढ़ू कृष्णाराम के साथ अपने गांव किलकिला में जहां मिटिंग हो रही थी, वहीं करीब 12 बजे पहुंचा, तो आपत्तिकर्त्ता के साथ हलधर नागवंशी, सुरेश यादव ने मारपीट की और उसे मीटिंग स्थल तक ले गए। आपत्तिकर्त्ता ने देखा वहॉ पुत्र प्रकाश और उसकी पत्नी बसंती को पीछे हाथ बॉध के रखे हुए थें। मिटिंग की अध्यक्षता भोगदेव उर्फ भूपदेव सरपंच कर रहा था, और बाकी सारे उसकी हॉ में हॉ मिला रहे थें। राजकुमार के साथ तथा उसके पुत्र प्रकाश के साथ हाथ पैर मुरकेटते हुए गंदी-गंदी गाली देते हुए मारपीट किये, तथा आपत्तिकर्त्ता के पुत्र प्रकाश को लीलावती का नाम ले-लेकर प्रताड़ित करने लगे तथा रात भर आपत्तिकर्त्ता, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र प्रकाश को बंधक बनाकर मारपीट करते रहे। गांव के चौकीदार मायाराम चौहान एवं ग्राम काराडेगा के चौकीदार के द्वारा आपत्तिकर्त्ता के पक्ष में बात करने पर मिटिंग में उपस्थित उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार के साथ मारपीट की गई, और उनको भी 2500/- रु प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाया गया।

राजकुमार ने बताया कि, उसके पुत्र प्रकाश के साथ मारपीट कर यातनाये देते हुए 65000/- रूपये का जुर्माना लगाया और उक्त रकम 10 दिनों के भीतर समाज में जमा करने को कहा गया। भूपदेव उर्फ भोगदेव सरपंच एवं मिटिंग में उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने, यह निर्णय भी लिया कि प्रकाश के लिंग में तीन ईटा बांधकर लीलावती को गोद में उठाकर बैंड बाजे के साथ घुमाया जावेगा, यदि वह थक जाता है, तो एक ईटा और बांध दिया जायेगा।

उसके बाद सुबह 5 बजे आपत्तिकर्त्ता के पुत्र प्रकाश को (जिसका हाथ पीछे रस्सी से बंधा हुआ था) उसके बड़े भाई कोलाराम ने बोला कि चल स्वेटर पहना के लाता हूॅ, और मिटिंग से आपत्तिकर्त्ता के घर लेकर गया, उसके ईशारे पर अन्य भी एक-एक कर के मीटिंग से उठे और शायद पीछे गए, क्योकि आपत्तिकर्त्ता एवं उसकी पत्नी को भी वहॉ हाथ पीछे बॉध के बिठाया गया था, अतः वे पीछे नहीं जा सके।

राजकुमार ने बताया कि, कुछ देर बाद बेटे की पत्नी भगवती की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई, तो आपत्तिकर्त्ता एवं उसकी पत्नी किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर अपने घर तरफ दौड़े और घर के अंदर पहुंचने के बाद कमरे में जाकर देखे तो आपत्तिकर्त्ता का पुत्र प्रकाश फांसी में लटका हुआ था। आपत्तिकर्त्ता के पुत्र प्रकाश के फांसी में लटकने की जानकारी मिटिंग में उपस्थित लोगों जब मिली, तब कुछ लोग आए,और प्रकाश को मृत अवस्था में देखकर अपने-अपने घर वापस चले गए। उसके बाद राजकुमार तथा उसका भाई देवकुमार पैंकरा तथा गांव के मायाराम चौकीदार, कृष्णाराम, जयनंद के साथ थाना लैलूंगा जाकर घटना की सूचना दी। तब पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है, लिखवा दो कि फॉसी लगा के मर गया है।

राजकुमार ने यह भी कहा कि, उसके द्वारा एवं अन्य गवाहों के द्वारा लगातार बोले जाने पर भी पुलिस ने अपनी मर्जी से आत्महत्या सम्बंधी बयान लिखा है, जो कि अन्याय है, जिसके कारण आपत्तिकर्त्ता ने मय-शपथपत्र एवं मय गवाहान् उच्चाधिकारियों को लिखित में शिकायत

पुलिस नहीं दे रही हत्प्राण के पिता और परिवार को कोई सुरक्षा

आपत्तिकर्त्ता राजकुमार ने कहा कि, उसे तथा उसके परिवार को जान समेत मारने की धमकी दी जा रही है, उसके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है, राजी-नामा कर लो, नहीं तो जो हाल तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ है, वही हाल तुम्हारे परिवार के साथ भी करेंगे। उक्त धमकी से आपत्तिकर्त्ता तथा उसका परिवार पूरी तरह भयभीत है, कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित की जा सकती हैं। यहॉ ये बताना लाज़मी है कि घटना के बाद से, राजकुमार और उसकी पत्नी दहशत और डर के कारण गॉव में नहीं रह रहे हैं। बेहद मार्मिक अपील करते हुए राजकुमार ने कहा कि सत्य के पक्ष में कोई ''सच'' बोलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि घटना के बारे में कोई कुछ कहेगा, तो उसके उपर 25000/- रु. का जुर्माना एवं मार-पीट का फरमान सरपंच भोगदेव उर्फ भुपदेव ने कर दिया है। आपत्तिकर्त्ता को लग रहा है कि भोगदेव उर्फ भुपदेव सरपंच को, पुलिस सादृश्य एवं संज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तार नहीं कर रही है और उसे अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु मौका दे रही है, जबकि सरपंच ग्राम किलकिला में ही है, जो कि पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

हत्या के प्रयास के फरार आरोपी को जम्मु से गिरफ्तार कर लायी जूटमिल पुलिस

करीब एक साल से फरार था आरोपी, जुटमिल पुलिस को जम्मू में रहने की मिली थी सूचना

रायगढ़। थाना कोतवाली (जूटमिल) के अप.क्र. 491/18 धारा 341, 294, 506, 307, 34 भादंवि के फरार आरोपी फिरू साहू निवासी मिट्ठूमुडा को जुटमिल पुलिस जम्मू से गिरफ्तार कर रायगढ़ लायी है । प्राप्त जानकारी के अनुसार गाधी गंज रायगढ

निवासी राजकुमार अग्रवाल उम्र 60 वर्ष का सांगीतराई जूटमिल में पतंजली प्रोडक्ट का गोदाम है । दिनांक 10.05.2018 के शाम करीब 07-07.30 बजे राजकुमार अग्रवाल सांगीतराई गोदाम से अपनी कार मारूती सैलेरियो में प्रेमलाल उरांव निवासी कमला थाना चद्रपुर के साथ वापस घर गांधीगंज आ रहे थे कि गोदाम से थोडा आगे छातामुडा चौक से पहले कुन्दन गिरी तथा फिरू साहु कार के सामने मोटर सायकल अडाकर हमारे घर वालो के खिलाफ रिपोर्ट किये हो उसे वापस लो और 20 लाख रूपये दो कहकर हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए हत्या की नियत से चाकू से पेट में मारा जिसे राजकुमार अग्रवाल ने बचाव किया यदि नही हटाता तो निश्चित ही उसकी हत्या हो जाती । घटना के संबंध में राजकुमार अग्रवाल के पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल के रिपोर्ट पर जुटमिल चौकी थाना कोतवाली में दिनांक 11.05.18 को आरोपीगण कुन्दन गिरी व फिरू साहू के विरूद्ध अप.क्र. 491/18 धारा 341, 294, 506, 307, 34 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरम्यान आरोपी कुन्दर गिरी को गिरफ्तार किया गया जबकि आरोपी फिरू साहू घटना दिनांक से फरार था । जिसे जूटमिल पुलिस मुखबिर लगाकर तलाश कर रही थी । आरोपी फिरू साहू के जम्मू में छिपे होने की जानकारी चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा को मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देशन प्राप्त कर पुलिस टीम जम्मू भेजा गया, जहां से पुलिस टीम आरोपी फिरू साहू पिता स्व. मोहन साहू उम्र 42 वर्ष निवासी मिट्ठूमुडा को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाने में सफल रहे । आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त आरोपी की पतासाजी/गिरफ्तारी में जूटमिल प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा, उप निरीक्षक थानूराम नायक, प्र0आर0 सतीश पाठक, आरक्षक बसंत सिदार, रामनाथ बनर्जी की सराहनीय भूमिका रही है ।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री श्यामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य स्तर में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सांस्कृतिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
CAREER HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
ADMISSION OPEN
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480